भारत सरकार

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्यांक 31)

तथा

नियम

[1– सितम्बर, 1978 को यथाविद्यमान]

The Presidential and Vice-Presidential Elections Act, 1952

(Act No. 31 of 1952)

and

Rules

[*As on 1st September, 1978*]

1979

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन–
नियन्त्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली – 110054 द्वारा प्रकाशित।

प्रथम संस्करण का प्राक्थन

यह जुलाई 1974 को यथा विद्यमान राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 और उनके अधीन बनाए गए नियमों का द्विभाषीय संस्करण है। इसमें अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ अनके अंग्रेजी पाठ सहित, दिया गया है। अधिनियम का हिन्दी पाठ तारीख 6 अप्रैल, 1967 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 2, खण्ड III, में पृष्ठ 480 से 489 में प्रकाशित हुआ था। राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1974 का हिन्दी पाठ जो मूल अधिनियम में समाविष्ट कर दिया है। तारीख 13 जून, 1974 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 15, खण्ड X, में प्रकाशित हुआ था। इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम तारीख 21 मई, 1974 के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग 2, अनुभाग 3क में प्रकाशित किए गए थे।

इन हिन्दी पाठों को राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम 1963 को धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित हुए और इस प्रकार प्रकाशित होने पर यह उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ हैं।

नई दिल्ली,
1 जुलाई, 1974

के0 के0 सुन्दरम,
सचिव, भारत सरकार।

द्वितीय संस्करण का प्राक्कथन

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्यांक 31) के प्रथम द्विभाषीय संस्करण की प्रतियां बिक गई हैं, इसलिए इसका द्वितीय संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 1 सितम्बर, 1978 तक के सभी संशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली,
1 सितम्बर, 1978

शंकर हरिहर अय्यर,
सचिव, भारत सरकार।

संशोधन अधिनियमों की सूची

1. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1974 (1974 का 15)।
2. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1977 (1977 का 20)।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

धाराओं का क्रम

भाग 1

प्रारम्भिक

धाराएं		पृष्ठ
1.	संक्षिप्त नाम	1
2.	परिभाषाएं	1
	राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों का संचालन	
3.	रिटर्निंग आफिसर और उसके सहायक	1
4.	नामनिर्देशनों आदि के लिए तारीखों का नियत किया जाना	2
5.	निर्वाचन की लोक सूचना	2
5क.	अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन	2
5ख.	नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करना और विधिमान्य नामनिर्देशन के लिए अपेक्षाएं	3
5ग.	निक्षेप	3
5घ.	नामनिर्देशनों की सूचना और उनकी संवीक्षा का समय और स्थान	4
5ङ.	नामनिर्देशनों की संवीक्षा	4
6	अभ्यर्थिता वापस लेना	5
7.	अभ्यर्थी की मतदान से पूर्व मृत्यु	5
8.	सविरोध और अविरोध निर्वाचनों की प्रक्रिया	6
9.	निर्वाचनों में मतदान की रीति	6
10.	मतों की गणना	6
11.	निर्वाचन परिणामों की घोषणा	6
12.	निर्वाचन परिणामों की रिर्पोट	6
	भाग 3 **निर्वाचन सम्बन्धी विवाद**	
13.	परिभाषाएं	6
14.	निर्वाचन अर्जियों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरण	7
14क.	अर्जियों का पेश किया जाना	7
15.	अर्जियो के प्ररूप इत्यादि और प्रक्रिया	7
16.	अनुतोष जिसका दावा अर्जीदार कर सकेगा	7
17	उच्चतम न्यायालय के आदेश	7
18.	निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार	8
19.	निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित करने के आधार	8
20.	केन्द्रीय सरकार को आदेशों का भेजा जाना और उनका प्रकाशन	8
	भाग 4 **प्रकीर्ण**	
20क.	अभ्यार्थी के निक्षेप का लौटाया जाना या समपहरण	8
21.	नियम बनाने की शक्ति	9
22.	मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना	10
23.	सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित	10

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952

(1952 का अधिनियम संख्यांक 31)

(14 मार्च, 1952)

भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों से सम्बद्ध या संसक्त कतिपय विषयों के विनियमित करने के लिए अधिनियम

संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

भाग 1
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 कहा जा सकेगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) ''अनुच्छेद'' से संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ख) ''निर्वाचन'' से राष्ट्रपतीय निर्वाचन या उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अभिप्रेत है;

(ग) ''निर्वाचन आयोग'' से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(घ) ''निर्वाचन'' से राष्ट्रपतीय निर्वाचन के सम्बन्ध में अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण का सदस्य अभिप्रेत है और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के सम्बन्ध में [1](अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण का सदस्य) अभिप्रेत है।

(ङ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(च) ''राष्ट्रपतीय निर्वाचन'' से भारत के राष्ट्रपति के पद के भरे जाने के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;

[2][(चच) ''लोक अवकाश – दिन'' से ऐसा दिन अभिप्रेत है जो परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 25 के प्रयोजनों के लिए लोक अवकाश–दिन है;)]

1881 का 26

(छ) ''रिटर्निंग आफिसर'' के अन्तर्गत उस किसी कृत्य का पालन करने वाला सहायक रिटर्निंग आफिसर आता है जिसका पालन करने के लिए वह धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन [3](सक्षम) है;

(ज) ''उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन'' से भारत के उपराष्ट्रपति के पद के भरे जाने के लिए निर्वाचन अभिप्रेत है;

भाग 2
राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों का संचालन

रिटर्निंग आफिसर और अनके सहायक।

3. (1) निर्वाचन आयोग हर एक निर्वाचन के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार के परामर्श से एक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करेगा जिसका कार्यालय नई दिल्ली में होगा और एक या अधिक सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त कर सकेगा।

---

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा द्वारा ''संसद के किसी एक सदन का सदस्य '' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 2 द्वारा अन्तः स्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 2 द्वारा ''प्राधिकृत'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रहते हुए, हर सहायक रिटर्निंग आफिसर रिटर्निंग आफिसर के सब कृत्यों या उनमें से किसी के पालन के लिए सक्षम होगा।

नामनिर्देशनों आदि के लिए तारीखों का नियत किया जाना।

4. [1][(1) निर्वाचन आयोग, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, हर निर्वाचन के लिए–

(क) नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख नियत करेगा, जो इस उपधारा के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् चौदहवें दिन की तारीख होगी, या यदि वह दिन लोक अवकाश–दिन है, तो उसके ठीक अगले दिन की तारीख होगी जो लोक अवकाश–दिन न हो;

(ख) नामनिर्देशन की संवीक्षा की तारीख नियत करेगा, जो नामनिर्देशन करने की अन्तिम तारीख के ठीक बाद के दिन की, या यदि वह दिन लोक अवकाश–दिन है, तो उसके ठीक अगले दिन की तारीख होगी जो लोक अवकाश–दिन न हो;

(ग) अभ्यर्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख नियत करेगा, जो नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख के पश्चात् दूसरे दिन की, या यदि वह दिन लोक अवकाश–दिन है, तो उसके ठीक अगले दिन की तारीख होगी जो लोक अवकाश–दिन न हो;

(घ) वह तारीख नियत करेगा जिसको मतदान, यदि आवश्यक हो तो, होगा और जो ऐसी तारीख होगी जो अभ्यार्थिता वापस लेने की अन्तिम तारीख के पश्चात् पन्द्रवें दिन से पहले की तारीख न होगी।]

(2) प्रथम राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों की दशा में उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचनाएं संसद् के दोनों सदनों के गठन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निकाली जाएंगी।

(3) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन की दशा में उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना, यथास्थिति, पदावरोही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पदावधि के अवसान से पूर्व के साठवें दिन को या उसके पश्चात् सुविधापूर्वक जितनी शीघ्र निकाली जा सके निकाली जाएगी और उक्त उपधारा के अधीन तारीख ऐसे नियत की जायेगी कि निर्वाचन ऐसे समय में पूरा हो जाए कि तद्द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपना पदग्रहण, यथास्थिति, पदावराही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की पदावली के अवसान के अगले दिन को कर सके।

(4) राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने अथवा अन्य करण से हुई उनके पद की रिक्ति के भरे जाने के लिए निर्वाचन की दशा में उपधारा (1) के अधीन की अधिसूचना ऐसी रिक्ति के होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निकाली जाएंगी।

निर्वाचन की लोक सूचना।

[2][5. धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना के जारी किए जाने पर निर्वाचन का रिटर्निंग आफिसर आशयित निर्वाचन की, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जिसे विहित किया जाए, लोक सूचना देगा, जिसमें ऐसे निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों के नामनिर्देशन आमंत्रित किए जाएंगे और वह स्थान विनिर्दिष्ट किया जायेगा जहां पर नामनिर्देशन पत्र परिदत्त किए जाने हैं।

अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन।

5क. कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए संविधान के अधीन अर्हित है, उस पद के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा।

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 3 द्वारा उपधारा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 4 द्वारा 5 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करना और विधिमान्य नाम–निर्देशन के लिए अपेक्षाएं।

5ख. (1) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नियत की गई तारीख को या उसके पूर्व, प्रत्येक अभ्यर्थी, या तो स्वयं या अपने प्रस्थापकों अथवा समर्थकों में से किसी के द्वारा, रिटर्निंग आफिसर को, धारा 5 के अधीन जारी की गई लोकसूचना में विनिर्दिष्ट स्थान पर, पूर्वाह्न ग्यारह बजे और अपराह्न तीन बजे के बीच, विहित प्ररूप में भरा गया नामनिर्देशन पत्र परिदत्त करेगा जिस पर अभ्यर्थी के नामनिर्देशन की अनुमति देते हुए हस्ताक्षर होंगे तथा,–

(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, कम से कम दस निर्वाचकों के प्रस्थापकों के रूप में और कम से कम दस निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में भी हस्ताक्षर होंगे :

(ख) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में, कम से कम पांच निर्वाचकों के प्रस्थापको के रूप में और कम से कम पांच निर्वाचकों के समर्थकों के रूप में भी हस्ताक्षर होंगे :

परन्तु कोई भी नामनिर्देशन पत्र रिटर्निंग आफिसर को किसी ऐसे दिन प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जो लोक अवकाश–दिन है।

(2) प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र की जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बन्धित प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति होगी।

(3) रिटर्निंग आफिसर किसी ऐसे नामनिर्देशन पत्र को स्वीकार नहीं करेगा जो किसी दिन पूर्वाह्न ग्यारह बजे से पहले और अपराह्न तीन बजे के पश्चात् प्रस्तुत किया जाए।

(4) जो नामनिर्देशन पत्र धारा 4 को उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन की गई अन्तिम तारीख को अपराह्न तीन बजे के पहले प्राप्त नहीं होता है या जिसके साथ इस धारा की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रमाणित प्रति संलग्न नही है, वह नामंजूर कर दिया जाएगा और ऐसी नामंजूरी से सम्बन्धित एक संक्षिप्त टिप्पण उस नामनिर्देशन पत्र पर ही अभिलिखित किया जायेगा।

(5) कोई निर्वाचक उसी निर्वाचन में, चाहे प्रस्थापक के रूप में या समर्थक के रूप में, एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं करेगा और यदि वह एक से अधिक नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करता है तो प्रथम परिदत्त नामनिर्देशन पत्र से भिन्न किसी भी नामनिर्देशन पत्र पर उसका हस्ताक्षर निष्प्रभाव होगा।

(6) इस धारा की कोई बात किसी अभ्यर्थी के एक ही निर्वाचन के लिए एक से अधिक नामनिर्देशन पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने को नही रोकेगी :

परन्तु किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से चार से अधिक नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत नहीं किये जायेगें या रिटर्निंग आफिसर द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

निक्षेप।

5ग (1) किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह दो हजार पांच सौ रुपये की राशि निक्षिप्त नहीं करता या कराता है :

परन्तु जहां एक ही निर्वाचन में कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नामनिर्देशन पत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है, वहां इस उपधारा के अधीन उससे एक से अधिक निक्षेप की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन निक्षिप्त किए जाने के लिए अपेक्षित राशि के बारे में तब तक यह नही समझा जायेगा कि वह उस उपधारा के अधीन निक्षिप्त की गई है, जब तक कि अभ्यर्थी ने धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय, वह राशि रिटर्निंग आफिसर के पास नकद निक्षिप्त न कर दी हो या निक्षिप्त न करा

दी हो अथवा नामनिर्देशन पत्र के साथ एक रसीद संलग्न न कर दी हो, जिसमें यह दर्शित किया गया हो कि उक्त राशि भारतीय रिजर्व बैंक में या किसी सरकारी खजाने में उसके द्वारा या उसकी ओर से निक्षिप्त कर दी गई है।

नामनिर्देशनों की सूचना और उनकी संवीक्षा का समय और स्थान।

5घ. नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर रिटर्निंग आफिसर –

(क) उसमें नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत किये जाने की तारीख और समय का कथन अपने हस्तलेख से प्रमाणित करेगा तथा उस पर उसका क्रम संख्यांक दर्ज करेगा;

(ख) नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख, समय और स्थान की सूचना देगा; तथा

(ग) खण्ड (क) के अधीन यथाप्रमाणित और संख्यांकित नामनिर्देशन की एक प्रति अपने कार्यालय में किसी सहजदृश्य स्थान पर लगवाएगा।

नामनिर्देशनों की संवीक्षा।

5ङ (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को हर अभ्यार्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्थापक या एक समर्थक तथा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से सम्यक्तः प्राधिकृत एक अन्य व्यक्ति, नामनिर्देशनों की संवीक्षा के समय उपस्थित रहने का हकदार होगा किन्तु अन्य कोई व्यक्ति नही, और रिटर्निंग आफिसर उन्हें सब अभ्यार्थियों के नामनिर्देशन पत्रों की, जो धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर नही कर दिए गए हैं, परीक्षा करने के लिए सब उचित सूविधाएं देगा।

(2) शंकाओं को दूर करने के लिए इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत तारीख को उन नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा करना आवश्यक नहीं होगा जो धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन पहले ही नामंजूर किए गए हैं।

(3) तत्पश्चात् रिटर्निंग आफिसर नामनिर्देशन पत्रों की परीक्षा करेगा और ऐसे सब आक्षेपों का विनिश्चय करेगा जो किसी नामनिर्देशन पत्र पर किए जाएं तथा, या तो ऐसे किसी आक्षेप पर या स्वप्रेरणा से, ऐसी किसी संक्षिप्त जांच के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे वह आवश्यक समझे, किसी नामनिर्देशन को निम्नलिखित आधारों में से किसी पर नामंजूर कर सकेगा, अर्थातः–

(क) यह कि नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए नियत की गई तारीख को अभ्यार्थी संविधान के अधीन, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का पात्र नही है; अथवा

(ख) यह कि प्रस्थापकों या समर्थकों में से कोई धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्देशन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अर्हित नही हैं; अथवा

(ग) यह कि नामनिर्देशन पत्र पर उतने प्रस्थापकों या समर्थकों नें हस्ताक्षर नहीं किये हैं, जितने अपेक्षित है; अथवा

(घ) यह कि अभ्यर्थी के या प्रस्थापकों अथवा समर्थकों में से किसी के हस्ताक्षर असली नहीं है या कपट द्वारा लिए गए है ; अथवा

(ङ) यह कि धारा 5ख या धारा 5ग के उपबन्धों में से किसी का अनुपालन नहीं किया गया है।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (ख) से (ङ) तक की किसी बात से यह नही समझा जाएगा कि वह किसी अभ्यर्थी के नामनिर्देशन को नामनिर्देशन पत्र की बाबत किसी अनियमितता के आधार पर नामंजूर करने के लिए प्राधिकृत करती है यदि अभ्यर्थी किसी अन्य नामनिर्देशन पत्र द्वारा, जिसकी बाबत कोई अनियमितता नहीं हुई है, सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

(5) रिटर्निंग आफिसर किसी नामनिर्देशन पत्र को किसी ऐसी त्रुटि के आधार पर नामंजूर नहीं करेगा जो महत्वपूर्ण नहीं है।

(6) रिटर्निंग आफिसर धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन संवीक्षा के लिए नियत तारीख को संवीक्षा करेगा और कार्यवाहियों का स्थगन अनुज्ञात तभी करेगा जब ऐसी कार्यवाहियों में बलवे या खुली आम हिंसा द्वारा या उसके नियंत्रण से बाहर के कारणों द्वारा विघ्न या बाधा डाली जाती है अन्यथा नही :

परन्तु यदि रिटर्निंग आफिसर द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई आक्षेप किया जाता है तो सम्बद्ध अभ्यर्थी को उसका खण्डन करने के लिए, संवीक्षा के लिए नियत तारीख से एक दिन छोड़कर अगले दिन से अनधिक समय अनुज्ञात किया जाएगा, तथा रिटर्निंग आफिसर उस तारीख को अपना विनिश्चय अभिलिखित करेगा जिसके लिए कार्यवाहियां स्थगित की गई हैं।

(7) रिटर्निंग आफिसर प्रत्येक नामनिर्देशन पत्र पर उसे स्वीकार या नामंजूर करने का अपना विनिश्चय पृष्ठांकित करेगा और यदि नामनिर्देशन पत्र नामंजूर कर दिया जाता है, तो ऐसी नामंजूरी के कारणों का एक संक्षिप्त कथन अभिलिखित करेगा।

(8) तत्समय प्रवृत्त निर्वाचक नामावली में प्रवष्टि की प्रमाणित प्रति इस धारा के प्रयोजनों के लिए, तब तक इस तथ्य का निश्चायक साक्ष्य होगी कि उस प्रविष्टि में निर्दिष्ट व्यक्ति उस निर्वाचन–क्षेत्र के लिए निर्वाचक है, जब तक कि यह साबित न हो
1950 का 43 जाए कि वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 16 में वर्णित निरर्हताओं में से किसी से ग्रस्त है।

अभ्यर्थिता वापस लेना

6. (1) कोई अभ्यर्थी अपनी अभ्यर्थिता विहित प्ररूप की और अपने द्वारा हस्ताक्षरित ऐसी लिखित सूचना द्वारा वापस ले सकेगा जो रिटर्निंग आफिसर को ऐसे अभ्यर्थी द्वारा स्वयं या [1][उसके प्रस्थापकों या समर्थको में से ऐसे किसी भी प्रस्थापक या समर्थक द्वारा] जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन नियत तारीख को तीन बजे अपराह्न से पहले परिदत्त कर दी गई हो।

(2) जिस व्यक्ति ने अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना उपधारा (1) के अधीन दी है उसे उस सूचना को रद्द करने के लिए अनुज्ञात न किया जायेगा।

[2][(3) रिटर्निंग आफिसर, अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना के असली होने और उपधारा (1) के अधीन उसे परिदत्त करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में अपना समाधान हो जाने पर, सूचना को अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।]

अभ्यर्थी की मतदान से पूर्व मृत्यु

7. यदि कोई अभ्यर्थी, जिसका नामनिर्देशन कर दिया गया है और संवीक्षा पर ठीक पाया जाता है, नामनिर्देशन के लिए नियत समय के पश्चात मर जाता है और उसकी मृत्यु की रिर्पोट रिटर्निंग आफिसर को मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व प्राप्त हो जाती है तो रिटर्निंग आफिसर उस अभ्यर्थी की मृत्यु के तथ्य के सम्बन्ध में अपना समाधान हो जाने पर मतदान को प्रत्यादिष्ट कर देगा और तथ्य की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को देगा और निर्वाचन सम्बन्धी सब कार्यवाहियां हर प्रकार से नए सिरे से प्रारम्भ होंगी मानो वे नए निर्वाचन के लिए हों :

परन्तु उस अभ्यर्थी की दशा में, जिसका नामनिर्देशन मतदान के प्रत्यादिष्ट किए जाने के समय विधिमान्य था, कोई अतिरिक्त नामनिर्देशन आवश्यक न होगा :

परन्तु यह और भी कि जिस व्यक्ति ने मतदान के प्रत्यादिष्ट किए जाने के पूर्व अपनी अभ्यर्थिता की वापसी की सूचना 6 की उपधारा (1) के अधीन दे दी है वह ऐसे प्रत्यादेश के पश्चात् निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने का अपात्र न होगा।

---

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 5 द्वारा ''उसके ऐसे प्रस्थापक या समर्थक द्वारा'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 5 द्वारा उपधारा (3) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

सविरोध और अविरोध निर्वाचनों मे प्रक्रिया।

8. जिस कालावधि के अन्दर धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकती है उसके अवशान के पश्चात् यदि–

(क) केवल एक अभ्यर्थी है जो विधिमान्य रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है और जिसने उस उपधारा में विनिर्दिष्ट रीति में और समय के भीतर अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है तो रिटर्निंग आफिसर तत्क्षण यह घोषणा कर देगा कि ऐसा अभ्यर्थी, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गया है,

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या, जो सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किए गए हैं किन्तु जिन्होंने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, एक से अधिक है, तो निर्वाचन आफिसर अभ्यर्थियों के नामों को वर्णक्रम में और पतों को उस रूप में, जिसमें वे नामनिर्देशन पत्रों में दिए हैं, अन्तर्विष्ट करने वालों और ऐसी अन्य विशिष्टियों के सहित, जैसी विहित की जाए, एक सूची ऐसे प्ररूप और राति में, जैसी विहित की जाए, तत्क्षण प्रकाशित करेगा तथा मतदान होगा,

(ग) ऐसा कोई अभ्यर्थी नहीं है जिसका सम्यक् रूप से नामनिर्दिष्ट किया गया है और जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है तो निर्वाचन आफिसर उस तथ्य की रिर्पोट निर्वाचन आयोग को कर देगा और तत्पश्चात् निर्वाचन सम्बधी सब कार्यवाहियां नए सिरे से प्रारम्भ होंगी और उस प्रयोजन के लिए निर्वाचन आयोग ऐसे निर्वाचन के सम्बन्ध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन निकाली गई अधिसूचना को रद्द करेगा और ऐसे नए निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए उस उपधारा में निर्दिष्ट तारीख नियत करते हुए उस उपधारा के अधीन दूसरी अधिसूचना निकालेगा।

निर्वाचनों में मतदान की रीति।

9. ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदाता होता है, मतपत्रों द्वारा ऐसी रीति में मत दिए जाएंगे जैसी विहित की जाए और कोई मत परोक्षी द्वारा न लिए जाएंगे।

मतों की गणना।

10. ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदाता होता है, मतों की गणना रिर्टिनिग आफिसर द्वारा, या उसके पर्यवेक्षण के अधीन की जायेगी, और हर एक अभ्यार्थी का तथा हर एक अभ्यर्थी के ऐसे एक प्रतिनिधि का, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत हो, अधिकार होगा कि वह गणना के समय उपस्थित रहे।

निर्वाचन परिणामों की घोषणा।

11. जब मतों की गणना समाप्त हो जाए, तब रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन का परिणाम इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबन्धित रीति में तत्क्षण घोषित करेगा।

12. निर्वाचन के परिणाम के घोषित किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र रिटर्निंग आफिसर निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार और निर्वाचन आयोग को करेगा और केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में एक ऐसी घोषणा प्रकाशित करायगी जिसमें, यथास्थिति, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित व्यक्ति का नाम अन्तर्विष्ट होगा।

1[भाग 3
निर्वाचन सम्बन्धी विवाद

परिभाषाएं।

13. इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) ''अभ्यर्थी'' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट हुआ है या सम्यक्तः नामनिर्दिष्ट होने का दावा करता है;

(ख) ''खर्चे'' से निर्वाचन अर्जी के विचारण के या उससे आनुषंगिक सभी खर्चे, प्रभार और व्यय अभिप्रेत हैं;

(ग) ''निर्वाचित अभ्यर्थी'' से वह अभ्यर्थी अभिप्रेत है जिसका नाम सम्यक्तः निर्वाचित रूप में धारा 12 के अधीन प्रकाशित किया गया है।

1. 1977 के अधिनियम संख्यांक 20 की धारा 2 द्वारा ''भाग 3'' के स्थान पर प्रतिस्थापित।

निर्वाचन अर्जियों का निपटारा करने के लिए प्राधिकरण।

14. (1) कोई भी निर्वाचन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को पेश की गई निर्वाचन अर्जी द्वारा ही प्रश्नगत किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

(2) उच्चतम न्यायालय निर्वाचन अर्जी का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाला प्राधिकरण होगा।

(3) हर निर्वाचन अर्जी ऐसे प्राधिकरण को उस भाग के उपबन्धों और उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार पेश की जाएगी।

अर्जियों का पेश किया जाना।

14क. (1) निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाली अर्जी धारा 18 की उपधारा (1) में और धारा 19 में विनिर्दिष्ट में से एक या अधिक आधारों पर ऐसे निर्वाचन के किसी अभ्यर्थी द्वारा, या–

(i) राष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में बीस या अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त अर्जीदारों के रूप में;

(ii) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन की दशा में दस या अधिक निर्वाचकों द्वारा संयुक्त अर्जीदारों के रूप में;

उच्चतम न्यायालय में पेश की जा सकेगी।

(2) ऐसी कोई अर्जी उस घोषणा के, जिसमें धारा 12 के अधीन निर्वाचन में निर्वाचित अभ्यर्थी का नाम हो, प्रकाशन की तारीख के पश्चात् किसी भी समय पेश की जा सकेगी किन्तु ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के पश्चात् पेश नही की जा सकेगी।

अर्जियों के प्ररूप इत्यादि और प्रक्रिया।

15. इस भाग के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए यह कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन बनाए गए नियम [चाहे वे राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन (संशोधन) अधिनियम, 1977 के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् बनाए गए हों] निर्वाचन अर्जियों के प्ररूप का, उस रीति का, जिसमें पेश किया जाना है, उन व्यक्तियों का, जो इसके पक्षधर बनाए जाने हैं, उससे संबंधित अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का और उन परिस्थितियों का विनिमय कर सकेंगे जिसमें अर्जियों का शमन हो जाएगा या जिसमें वे वापस ली जा सकेंगी और जिसमें नए अर्जीदार प्रतिस्थापित किए जा सकेंगे और वे खर्चे के लिए प्रतिभूति दिये जाने की अपेक्षा कर सकेंगे।

अनुतोष जिसका दावा अर्जीदार कर सकेगा।

16. अर्जीदार निम्नलिखित घोषणाओं में से किसी घोषणा का दावा कर सकेगा, अर्थात्:–

(क) कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य है;

(ख) कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य है और वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है।

उच्चतम न्ययायालय के आदेश।

17. (1) निर्वाचन अर्जी के विचारण की समाप्ति पर उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित आदेश करेगा, अर्थात् :–

(क) निर्वाचन अर्जी को खारिज करना; अथवा

(ख) निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित करना ; अथवा ?

(ग) निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित करना और अर्जीदार या किसी अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से घोषित करना और यह घोषणा करना कि अर्जीदार या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश करते समय उच्चतम न्यायालय संदेय खर्चे की कुल रकम निश्चित करते हुए और उन व्यक्तियो को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिनके द्वारा या जिनको खर्चे दिये जाएंगे, आदेश करेगा।

निर्वाचित अभ्यार्थी के निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आधार।

18. (1) यदि उच्चतम न्यालय की यह राय है कि –

(क) निर्वाचित अभ्यर्थी या निर्वाचित अभ्यर्थी की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निर्वाचन में रिश्वत या असम्यक् असर का अपराध किया गया है, अथवा

(ख) निर्वाचन का परिणाम पर –

i किसी मत के अनुचित तौर पर लिए जाने या इंकार किए जाने के कारण से, अथवा

ii संविधान के या इस अधिनियम के या इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के उपबन्धों का अनुपाालन न किये जाने से, अथवा

iii इस तथ्य के कारण कि किसी ऐसे अभ्यर्थी का (निर्वाचित अभ्यर्थी से भिन्न) नामनिर्देशन, जिसने अपनी अभ्यर्थिता वापस नहीं ली है, गलत रूप में स्वीकार किया गया है,

तात्त्विक रूप से प्रभाव पड़ा है, अथवा

(ग) किसी अभ्यर्थी का नामनिर्देशन गलत रूप से इंकार किया गया है या निर्वाचित अभ्यर्थी का नामनिर्देशन गलत रूप से स्वीकार किया गया है,

तो उच्चतम न्यायालय यह घोषणा करेगा कि निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य है।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए निर्वाचन में रिश्वत और असम्यक् असर के अपराध के वही अर्थ हैं जो भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय 9क में हैं। 1860 का 45

निर्वाचित अभ्यार्थी से भिन्न अभ्यार्थी को निर्वाचित घोषित किए जाने के आधार।

19. यदि किसी व्यक्ति ने, जिसने निर्वाचन अर्जी पेश की है निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन को प्रश्नगत करने के अतिरिक्त इस घोषणा के लिए दावा किया है कि वह स्वयं या कोई अन्य अभ्यर्थी सम्यक् रूप से निर्वाचित हुआ है और उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि वास्तव में अर्जीदार या ऐसे अन्य अभ्यर्थी ने विधिमान्य मतों में से बहुसंख्यक मत प्राप्त किए हैं तो उच्चतम न्यायालय निर्वाचित अभ्यर्थी का निर्वाचन शून्य घोषित करने के पश्चात्, यथास्थिति अर्जीदार या ऐसे अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित करेगाः

परन्तु यदि यह साबित हो जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन उस दशा में शून्य होता जिसमें वह निर्वाचित अभ्यर्थी रहता और उसके निर्वाचन को प्रश्नगत करने वाजी अर्जी पेश की गई होती तो ऐसे अर्जीदार या अन्य अभ्यर्थी को सम्यक् रूप से निर्वाचित घोषित नहीं किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार की आदेशों का भेजा जाना और उनका प्रकाशन।

20. उच्चतम न्यायालय धारा 17 के अधीन आदेशों की घोषणा करने के पश्चात् उनकी एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भेजेगा और ऐसी प्रति की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार तुरन्त उस आदेश को राजपत्र में प्रकाशित कराएगी।

भाग 4
प्रकीर्ण

अभ्यर्थी के निक्षेप का लौटाया जाना

[1][**20क** (1) धारा 5ग के अधीन किया गया निक्षेप इस धारा के उपबन्धों के अनुसार या तो निक्षेप करने वाले व्यक्ति को अथवा उसके विधिक प्रतिनिधि को लौटा दिया जायगा या केन्द्रीय सरकार के पक्ष में समपहृत हो जायेगा।

(2) इस धारा में इसके पश्चात् वर्णित दशाओं के सिवाय, निर्वाचन के परिणाम के घोषित होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र निक्षेप लौटा दिया जायेगा।

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 8 द्वारा अन्तस्थापित।

(3) यदि अभ्यर्थी का नाम धारा 8 के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट सूची में नही है, अथवा मतदान के प्रारम्भ के पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो निक्षेप, यथास्थिति, सूची के प्रकाशन या अभ्यर्थी की मृत्यु के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र लौटा दिया जाएगा।

(4) उपधारा (3) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, यदि उस निर्वाचन में, जिसमें मतदान हो गया है, अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं हुआ है, और ऐसे अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त विधिमान्य मतों की संख्या ऐसे निर्वाचन में अभ्यर्थी के निर्वाचन को सुनिश्चित करने के लिए अनावश्यक मत संख्या के छठवें भाग से अधिक नही है, तो निक्षेप समपहृत हो जायेगा।]

नियम बनाने की शक्ति।

21.(1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए नियम, निर्वाचन आयोग से परामर्श करने के पश्चात् शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित बातों या उनमें से किसी के लिए उपलब्ध कर सकेंगे, अर्थातः–

(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची, उनके अद्यतन शुद्धकृत पतों के सहित, बनाए रखना;

(ख) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए [1][अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों] की सूची, उनके अद्यतन शुद्धकृत पतों के सहित, बनाए रखना;

(ग) रिटर्निंग आफिसर की शक्तियां और कर्तव्य और रिटर्निंग आफिसर की सहायता के लिए नियुक्त किसी आफिसर द्वारा रिटर्निंग आफिसर के किसी कर्तव्य का पालन;

[2][(गग) वह प्ररूप और रीति जिससे रिटर्निंग आफिसर द्वारा धारा 5 के अधीन लोक सूचना दी जायेगी;]

(घ) वह प्ररूप और रीति जिसमें नामनिर्देशन किये जा सकेंगे और नामनिर्देशन पत्रों के उपस्थापन के सम्बन्ध में अनुकरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ङ) नामनिर्देशनों की संवीक्षा और विशिष्टतः वह रीति जिससे ऐसी संवीक्षा की जायेगी और वे शर्तें और परिस्थितियां जिसके अधीन कोई व्यक्ति वहां उपस्थित हो सकेगा या आक्षेप कर सकेगा ;

(च) विधिमान्य नामनिर्देशनों की सूची का प्रकाशन ;

[3][(छ) मतदान का स्थान और समय, वह रीति जिससे साधारणतः और अशिक्षित मतदाताओं अथवा जिस भाषा में मतपत्र मुद्रित हुए हैं उनका ज्ञान न रखने वाले मतदाताओं या शारीरिक या अन्य निःशक्तता से ग्रस्त मतदाताओं की दशा में, मत दिए जाने है, तथा मतदान के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;]

(ज) मतों की संवीक्षा और गणना जिसके अन्तर्गत वे मामले आते हैं जिनमें निर्वाचन के परिणाम की घोषणा के पूर्व मतों की पुनर्गणना की जा सकेगी;

(झ) मतपेटियों, मत पत्रों और अन्य निर्वाचन कागज–पत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा, वह कालावधि जिस तक ऐसे कागज–पत्र परिरक्षित किए जाएंगे और ऐसे कागज–पत्रों का निरीक्षण और पेश किया जाना ;

(ञ) कोई अन्य ऐसी बात जो इस अधिनियम द्वारा विहित की जाने के लिए अपेक्षित है।

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 9 द्वारा '' संसद के दोनों सदनों के सदस्यों '' के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. पूर्वोक्त की धारा 9 द्वारा अतः स्थापित।
3. पूर्वोक्त की धारा 9 द्वारा खण्ड (छ) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[1][(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की अवधि के लिए रखा जायगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिर्वतन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।]

मतदान की गोपनीयता को बनाए रखना।

22. (1) ऐसा हर आफिसर, लिपिक या अन्य व्यक्ति जो निर्वाचन में मतों को अभिलिखित करने या उनकी गणना करने के सम्बन्ध में किसी कर्तव्य का पालन करता है मतदान की गोपनीयता को बनाए रखेगा और बनाए रखने में सहायता करेगा और ऐसी गोपनीयता का अतिक्रमण करने के लिए प्रकल्पित कोई जानकारी किसी व्यक्ति को (किसी विधि के द्वारा या अधीन प्राधिकृत किसी प्रयोजन के लिए संसूचित करने के सिवाय) संसूचित न करेगा।

(2) जो कोई व्यक्ति उपधारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता वर्जित।

23. भाग 3 में यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी सिविल न्यायालय को यह अधिकारिता न होगी कि वह रिटर्निंग आफिसर या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जो इस अधिनियम के अधीन नियुक्त है, निर्वाचन के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही या दिये गए किसी विनिश्चय की वैधता को प्रश्नगत करें।

1. 1974 के अधिनियम संख्यांक 5 की धारा 9 द्वारा अन्तःस्थापित।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ – (1) इन नियमों[1] का नाम राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 है।

(2) ये नियम तुरन्त प्रवृत होंगे।

2. निर्वाचन (1)– इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अनुच्छेद'' से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम 1952 अभिप्रेत है;

(ख) ''अनुच्छेद'' से भारत के संविधान का अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ग) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) ''धारा'' से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10), इन नियमों के निर्वाचन के लिए वैसे ही लागू होगा जैसे वह संसद् के अधिनियम के निर्वाचन के लिए लागू है।

अध्याय 2

अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

3. आशयित निर्वाचन की लोक सूचना – आशयित निर्वाचन की लोक सूचना जो धारा 5 में निर्दिष्ट है प्ररूप 1 में होगी और रिर्टिनिग आफिसर द्वारा ऐसी रीति में, ऐसी भाषा या भाषाओं में और ऐसे स्थानों में प्रकाशित की जाएगी जैसी या जैसे निर्वाचन आयोग निर्दिशष्ट करें।

4. नामनिर्देशन पत्र – हर नामनिर्देशन पत्र, जो धारा 5ख की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत किया गया है, प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में से जो उपयुक्त हो उसमें पूरा किया जाएगा।

5. अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना – (1) धारा 6 को उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना प्ररूप 4 में होगी।

(2) रिटर्निग आफिसर ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उसमें वह तारीख जिसको, और वह समय जिस पर, वह परिदत्त की गई थी, लिखेगा और उस लेख सहित उसकी एक प्रति अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।

6. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना और उसका प्रकाशन – हर ऐसी दशा में, जिसमें धारा 8 के खण्ड (ख) के अधीन मतदान होना है, रिटर्निग आफिसर, उस अवधि की समाप्ति के ठीक पश्चात् जिसके भीतर धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन अभ्यर्थिता वापस ली जा सकेगी,–

(क) निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची (अर्थात उन अभ्यर्थियों की सूची जिसका सम्यक् रूप से नामनिर्देशन किया गया है किन्तु जिन्होंने उस निमित्त विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी अभ्यर्थियता वापस नही ली है) प्ररूप 5 में तैयार करेगा, जिसमें नामनिर्देशन पत्रों में दिये गए रूप में वर्णक्रम से अभ्यर्थियों के नाम और पते अन्तर्विष्ट होंगे;

1. ये नियम विधी, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना संख्यांक का0 आ0 305 (ड.), तारीख 21 मई, 1974 के साथ प्रकाशित किए गए थे। भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3 (ii) देखिए।

(ख) सूची को भारत के राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति में, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, प्रकाशित कराएगा; और

(ग) सूची की एक प्रति अपने कार्यालय के किसी सहजदृश्य स्थान में लगवाएगा।

अध्याय 3

मतदान

7. राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान और समय नियत करना – हर राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, उस दशा में जिसमें मतदान होना है, निर्वाचन आयोग, –

(क) मतदान का स्थान नई दिल्ली में संसद् भवन में, और हर एक राज्य में उस परिसर में, जिसमें राज्य की विधान सभा का, यदि कोई हो, कामकाज के संचालन के लिए अधिवेशन होता है, नियत करेगा;

(ख) मतदान के हर एक ऐसे स्थान के प्रति निर्देश से उन निर्वाचकों के समूह को, जो ऐसे स्थान पर मत देने के हकदार होंगे और उस समय को, जिसके दौरान ऐसे स्थान पर मतदान होगा, विनिर्दिष्ट करेगा; और;

(ग) ऐसे नियत स्थानों और ऐसे विनिर्दिष्ट निर्वाचकों के समूहों और समय का सम्यक् रूप से प्रचार करेगा।

8. उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए मतदान का स्थान और समय नियत करना – हर उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में, उस दशा में जिसमें मतदान होना है, निर्वाचन आयोग, –

(क) मतदान का स्थान नई दिल्ली में संसद् भवन में नियत करेगा;

(ख) उस मतदान को जिसके दौरान मतदान होगा विनिर्दिष्ट करेगा; और

(ग) ऐसे नियत स्थान और ऐसे विनिर्दिष्ट समय का सम्यक् रूप से प्रचार करेगा।

9. पीठासीन और मतदान आफिसर– (1) रिटर्निंग आफिसर या ऐसा सहायक रिटर्निंग आफिसर, जो निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मतदान के हर एक स्थान पर मतदान का संचालन करेगा। हर ऐसे आफिसर को इसमें इसके पश्चात् पीठासीन आफिसर कहा गया है।

(2) पीठासीन आफिसर ऐसे मतदान आफिसर या आफिसरों को, जिन्हें वह मतदान में अपनी सहायता के लिए आवश्यक समझें, नियुक्त कर सकेगा, किन्तु वह किसी ऐसे व्यक्ति को, जो उस निर्वाचन में या उस निर्वाचन की बाबत किसी अभ्यर्थी द्वारा या उसकी ओर से नियोजित रह चुका है या उसके लिए काम करता रहा है, ऐसे नियुक्त नहीं करेगा।

10. मतपत्र का परिकल्प और प्ररूप – (1) हर मतपत्र के साथ एक प्रतिपर्ण संलग्न होगा और उक्त मतपत्र और प्रतिपर्ण ऐसे प्ररूप में होगें और उनमें की विशिष्टियां ऐसी भाषा या भाषाओं में होंगी जैसा या जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

(2) अभ्यर्थियों के नाम, मतपत्र में उसी क्रम में मुद्रित किए जाएंगे जिसमें वे नियम 6 के अधीन प्रकाशित निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची में हैं।

(3) हर पीठासीन आफिसर को निर्वाचित आयोग द्वारा पर्याप्त संख्या में मतपत्र दिए जाएंगे।

11. मतपेटियां – मतदान में उपयोग में लाई जाने वाली हर मतपेटी निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व अनुमोदित परिकल्प की होगी।

12. मतदान के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रक्रिया – (1) पीठासीन आफिसर, मतदान के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, जो मतदान के स्थान में उपस्थित हों, मतदान के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मतपेटी का निरीक्षण करने देगा।

2) पीठासीन आफिसर, तब पेटी को ऐसी रीति में सुरक्षित रूप से बन्द और मुहर बन्द करेगा कि मतपत्रों को उसमें डालने के लिए छेद खुला रहे और यदि ऐसे अभ्यर्थी और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हों, ऐसा करने की वांछा करें, तो उन्हें अपनी मुहर भी उस पर लगाने देगा।

13. मतदान के स्थानों में प्रवेश – (1) पीठासीन आफिसर –

(क) मतदान आफिसरों और अन्य कर्तव्यारूढ़ सेवकों के;

(ख) अभ्यार्थियों और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक प्रतिनिधि के;

(ग) निर्वाचकों के ;

(घ) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के; और

(ड) ऐसे अन्य व्यक्तियों के, जिन्हें मतदान में अपनी सहायता प्रयोजन के लिए पीठासीन आफिसर समय–समय पर प्रवेश करने दे,

सिवाय, किसी व्यक्ति को मतदान के स्थान में नहीं रहने देगा।

(2) पीठासीन आफिसर मतदान के स्थान को, बन्द करने के लिए, यथास्थिति, नियम 7 के खण्ड (ख) के अधीन या नियम 8 के खण्ड (ख) के अधीन नियत समय पर बन्द कर देगा और उस समय के पश्चात् किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नही करने देगा;

परन्तु उस स्थान के ऐसे बन्द किए जाने से पूर्व उसमें उपस्थित सब निर्वाचक अपने मत अभिलिखित करने के हकदार होंगे।

14. मतपत्र देने की प्रकिया– (1) मतदान के स्थान में मत देने के लिए हकदार निर्वाचको की अधिप्रमाणीकृत सूची या उसका भाग मतदान आफिसर को दी जायेगी या दिया जाएगा।

(2) निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने के ठीक उस सूची में उसके नाम के सामने एक चिह्न लगाया जायेगा, और उस सूची में यथादर्शित निर्वाचक के संख्यांक को मतपत्र के प्रतिपर्ण में दर्ज किया जायेगा।

(3) निर्वाचक सूची में अपना नाम मतपत्र की प्राप्ति के साक्ष्यस्वरूप हस्ताक्षरित करेगा और तब, न कि उससे पूर्व मतपत्र उसे परिदत्त किया जाएगा।

15. कुछ परिस्थियों में नए मतपत्र का प्रदाय – (1) वह निर्वाचक, जिसमें अपने मतपत्र को अनवधानता से ऐसी रीति से बरता है कि वह मतपत्र के रूप में सुविधानुसार उपयोग में नही लाया जा सकता, पीठासीन आफिसर को वह मतपत्र परिदत्त करके और अपनी अनवधानता के बारें में उस आफिसर का समाधान करके, ऐसे परिदत्त मतपत्र के स्थान में दूसरा मतपत्र प्राप्त कर सकेगा और उसके प्रतिपर्ण सहित पूर्वकथित मतपत्र पर पीठासीन आफिसर ''रद्द'' शब्द अकिंत करेगा।

(2) ऐसे रद्द किए गए कोई मतपत्र इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए पृथक् लिफाफे में रखे जाएंगे।

16. निर्वाचकों द्वारा उपयेग में न लाए गए मतपत्रों का लौटाया जाना – यदि निर्वाचक अपना मत अभिलिखित करने के लिए कोई मतपत्र प्राप्त करने के पश्चात् उसे उपयोग में न लाने का विनिश्चय करता है, तो वह पीठासीन आफिसर को मतपत्र लौटा देगा जो उस पर '' लौटाया गया और रद्द'' शब्द अंकित करेगा और उसे इस प्रयोजन के लिए अलग रखे गए पृथक् लिफाफे में रखेगा।

17. मतो को अभिलिखित करने की रीति – (1) हर निर्वाचक को उतने अधिमान प्राप्त होंगे जितने अभ्यर्थी हैं, किन्तु कोई मतपत्र केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि ऐसे अधिमान चिह्नित नहीं किए गए हैं।

(2) निर्वाचक अपना मत देने में, –

(क) अपने मतपत्र पर उस अभ्यर्थी के, जिसको वह अपने प्रथम अधिमान के लिए चुनता है, नाम के सामने वाले स्थान में अंक 1 लगा देगा ; और

(ख) इसके अतिरिक्त अपने मतपत्र पर दूसरे अभ्यर्थियों के नामों के सामने वाले स्थानों में अधिमान–क्रम में उतने पश्चात्वर्ती अधिमान जिसे वह चाहता है, 2, 3, 4 अंक और इसी प्रकार के अन्य अंक लगाकर, चिह्नित कर सकेगा।

स्पष्टीकरण –इस उपनियम के खण्ड (क) और (ख) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंको के अन्तराष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किए जा सकेंगे, किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे।

(3) पीठासीन आफिसर, उस दशा में जिसमें कि उससे निर्वाचक ऐसी प्रार्थना करे, उस निर्वाचक को वे अनुदेश समझाएगा जो मतों को अभिलिखित करने के लिए मतपत्र में अन्तर्विष्ट हैं।

18. निर्वाचकों द्वारा मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाए रखना और मतदान प्रक्रिया – (1) हर वह निर्वाचक, जिसे नियम 14 के अधीन मतपत्र दिया गया है, मतदान के स्थान में मतदान की गोपनीयता बनाए रखेगा और इस प्रयोजन के लिए इसमें इसके पश्चात् अधिकथित मतदान प्रक्रिया का अनुपालन करेगा।

(2) निर्वाचक, मतपत्र प्राप्त होने पर तत्क्षण,–

(क) मतदान कोष्ठों में से एक में जाएगा;

(ख) नियम 17 के उपनियम (2) के अनुसार, अपना मत अभिलिखित करेगा;

(ग) मतपत्र को इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए;

(घ) मुड़े हुए मतपत्र को मतपेटी में डाल देगा; और

(ङ) मतदान के स्थान से बाहर चला जाएगा।

(3) हर निर्वाचक असम्यक् विलम्ब के बिना मत देगा।

(4) जब मतदान कोष्ठ में कोई निर्वाचक हो तब अन्य किसी निर्वाचक को उसमें प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा।

19. निरक्षर या निःशक्त निर्वाचक के मतों का अभिलिखित किया जाना – (1)यदि कोई निर्वाचक, निरक्षरता या अन्धेपन या उस भाषा से, जिसमें मतपत्र मुद्रित है, अनभिज्ञ होने के कारण अथवा किसी शारीरिक या अन्य निःशक्तता के कारण मतपत्र पढ़ने या नियम 17 के अनुसार उस पर अपना मत अभिलिखित करने में असमर्थ हो, तो पीठासीन आफिसर निर्वाचक की इच्छाओं के अनुसार मतपत्र पर मत अभिलिखित करेगा।

(2) उसके बाद निर्वाचक मतपत्र को, या तो स्वयं या पीठासीन आफिसर की सहायता से इस तरह मोड़ लेगा कि उसका मत छिप जाए और उसे मतपेटी में डाल देगा।

(3) इस नियम के अधीन कार्य करते समय, पीठासीन आफिसर उतनी गोपनीयता बरतेगा जितनी सम्भव हो और प्रत्येक ऐसी घटना का संक्षिप्त अभिलेख रखेगा, किन्तु उसमें वह रीति उपदर्शित नहीं करेगा जिसमें कोई मत डाला गया है।

20. मतपत्रों का लेखा – (1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने पर मतपत्र लेखा, प्ररूप 6 में तैयार करेगा और उसे एक पृथक् लिफाफे में बन्द करेगा और उसके ऊपर ''मतपत्र लेखा'' शब्द लिखेगा।

(2) पीठासीन आफिसर अभ्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जो ऐसी वांछा करे, मतपत्र लेखा में की गई प्रविष्टियों की शुद्ध प्रति कर लेने की अनुज्ञा देगा और यह अनुप्रमाणित करेगा कि वह शुद्ध प्रति है।

21. **मतदान के बन्द होने के पश्चात मतपेटियों और कागजों का मुहरबन्द किया जाना –** (1) पीठासीन आफिसर मतदान के बन्द होने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उपस्थित हों, उपस्थिति में छेद तथा मतपेटी को बन्द और मुहरबन्द करेगा।

(2) वह –

(क) नियम 14 के अनुसार चिह्नित निर्वाचकों की सूची की प्रति को ;

(ख) मतपत्रों के प्रतिपर्णों को ;

(ग) नियम 15 और 16 के अधीन रद्द किए गए मतपत्रों को; और

(घ) उपयोग में न लाए गए मतपत्रों को,

पृथक्– पृथक् पैकेटों में बनाकर रखेगा और हर एक ऐसे पैकेट को अपनी निजी मुहर और उन अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उस पर अपनी मुहर लगाना चाहे, मुहरों से मुहरबन्द करेगा।

22. **कुछ दशाओं में मतपेटियों से मतपत्र का अन्तरण –** (1) निर्वाचन आयोग राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नई दिल्ली में संसद् भवन से भिन्न किसी मतदान के स्थान पर पीठासीन आफिसर को, नियम 21 में किसी बात के होते हुए भी, यह निदेश दे सकेगा कि वह आफिसर नियम 21 के उपनियम (1) के अधिकथित प्रक्रिया के बजाय इस नियम में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण मतदान के बन्द हो जाने के पश्चात् करें।

(2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई निदेश दिया गया हो, वहां पीठासीन आफिसर, मतदान के बन्द हो जाने के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से ऐसे अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उपस्थित हों, उपस्थिति में मतपेटी को खोलेगा और उसमें अन्तर्विष्ट सब मतपत्रों को, उनकी परीक्षा या गणना किए बिना, पृथक् लिफाफे में रखेगा और ऐसे लिफाफे पर, –

(क) मतदान के स्थान का नाम; और

(ख) मतदान की तारीख

अभिलिखित करेगा ।

(3) ऐसे रखे जाने के पश्चात् वह अभ्यर्थियों और उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों को, जो उपस्थित हों, मतपेटी का निरीक्षण करने देगा और उन्हें यह निदर्शित करेगा कि वह खाली है।

(4) उसके बाद वह लिफाफे को अपनी निजी मुहर और उन अभ्यर्थियों और अभ्यर्थियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की, जो उन पर अपनी मुहरें लगाना चाहे, मुहरों से मुहरबन्द करेगा।

(5) ऐसे मुहरबन्द लिफाफे के बारे में, नियम 23, 25, 32 और 33 के प्रयोजनों के लिए यह समझा जायेगा कि वह उस मतदान के स्थान पर उपयोग में लाई गई मतपेटी है और तदनुसार उन नियमों के उपबंध लागू होंगे।

23. मतपेटियों और कागजों का प्रेषण और अभिरक्षा – (1) राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नई दिल्ली में संसद् भवन से भिन्न मतदान के हर स्थान का पीठासीन आफिसर, मतदान में उपयोग में लाई गई मुहरबन्द मतपेटी और पैकेटों और अन्य सब कागजपत्रों को ऐसे साधारण और विशेष अनुदेशों के अनुसार, जो निर्वाचन आयोग द्वारा उस निमित्त दिए जाए, रिटर्निंग आफिसर को तत्क्षण भिजवाएगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर मतदान में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियों और पैकेटों और अन्य कागजपत्रों की सुरक्षित अभिरक्षा, मतों की गणना प्रारम्भ होने तक, करने के लिए यथायोग्य इन्तजाम करेगा।

24. आपात में मतदान का स्थान – (1) यदि मतदान के किसी स्थान में बल्वे या खुलेआम हिंसा से कार्यवाहियों में विघ्न या बाधा पड़ जाए या किसी ऐसे स्थान में किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण या अन्य पर्याप्त हेतुक से मतदान होना संभव नहीं हो, तो पीठासीन आफिसर मतदान को ऐसी तारीख तक के लिए स्थगित किए जाने की घोषणा करेगा जो तत्पश्चात् अधिसूचित की जाएगी और तत्क्षण उन परिस्थितियों की रिपोर्ट निर्वाचन आयोग को और उस दशा के सिवाय, जिसमें कि वह स्वयं रिटर्निंग आफिसर नहीं है; रिटर्निंग आफिसर को भी करेगा।

(2) जब कभी मतदान उपनियम (1) के अधीन स्थगित किया जाना है तब, निर्वाचन आयोग यथाशक्य शीघ्र वह दिन जिसको, वह स्थान जिसमें और वह समय जिसके दौरान, स्थगित मतदान होगा, नियत करेगा और सब सम्बद्ध व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जैसी वह ठीक समझे, उक्त ब्यौरे अधिसूचित करेगा।

(3) उस तारीख को जिसको ऐसा स्थगित मतदान होता है, ऐसे निर्वाचक, जो मतदान के स्थगन से पूर्व अपना मत दे चुके हों, मत देने के हकदार नही होंगे, किन्तु केवल ऐसे शेष निर्वाचक, मतदान के स्थगन से पूर्व मतदान के स्थान पर मत देने के हकदार थे, मत दे सकेंगे।

25. मतपेटियों के विनाश, आदि की दशा में नया मतदान – (1) यदि निर्वाचन में कोई मतपेटी पीठासीन आफिसर या रिटर्निंग आफिसर की अभिरक्षा से विधिविरूद्धतया निकाल ली जाती है या किसी प्रकार उसमें गड़बड़ कर दी जाती है या विनष्ट कर दी या खो जाती है, तो उस मतदान के स्थान पर किए गए मतदान के बारे में, जहां मतपेटी उपयोग में लाई गई थी, यह समझा जायेगा कि वह दूषित हुआ है, और रिटर्निंग आफिसर यथासाध्य शीघ्रता से निर्वाचन आयोग को उस मामले की रिपोर्ट करेगा जो उस स्थान पर नया मतदान करने के लिए दिन नियत करेगा और वह समय नियत करेगा जिसके दौरान मतदान होगा।

(2) यथापूर्वोक्त हर दशा में इन नियमों के उपबन्ध नए मतदान को ऐसे लागू ह्रोंगे जैसे वे मूल मतदान को लागू होते हैं।

26. निवारक विरोध के अधीन निर्वाचकों द्वारा मतदान – (1) इस अध्याय के पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्वाचक तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निवारक निरोध में रखा गया हो, तो वह अपना मत डाक मतपत्र द्वारा दे सकेगा।

(2) निर्वाचन आयोग उस जेल या अन्य स्थान के, जहां ऐसा निर्वाचक निरूद्ध है, भारसाधक आफिसर को समुचित मतपत्र, पहचान की घोषणा और हस्ताक्षर के अनुप्रमाणन का प्ररूप तथा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए आवश्यक लिफाफों और एक अनुदेशपत्र के साथ, रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजेगा जिससे कि वे मतदान के लिए नियत तारीख से पूर्व यथोचित समय पर उस आफिसर के पास पहुंच जाएं।

(3) मतदान की तारीख को उक्त आफिसर वह मतपत्र और अन्य आवश्यक कागजपत्र निर्वाचक को परिदत्त करेगा, उसे निर्वाचन आयोग के अनुदेशों के अनुसार अपना मत अभिलिखित करने के लिए सब युक्तियुक्त सुविधाएं और पर्याप्त समय, जो दो घंटे से अधिक नही होगा, अनुज्ञात करेगा, तथा यदि और जब निर्वाचक ने अपना मत वैसे अभिलिखित कर दिया हो तो तब, मतपत्र और अन्य संबधित कागजपत्रों को मुहरबन्द लिफाफे में या तो रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या विशेष संदेशवाहक द्वारा रिटर्निंग आफिसर को भेजेगा जिससे कि वे नियम 27 के अधीन मतों की गणना के लिए नियत समय से पूर्व उसके पास पहुंच जाएं।

(4) हर सरकार का यह कर्तव्य होगा कि यदि कोई निर्वाचक उस सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन निवारक निरोध में रखे गए हैं, तो वह उनके नामों की सूचना, उनके निरोध के स्थानों के बारें में आवश्यक विशिष्टियों सहित, समुचित समय पर निर्वाचन आयोग को दे।

अध्याय 4

मतों की गणना और परिणामों की घोषणा

27. मतों की गणना के लिए स्थान और समय – मतों की गणना नई दिल्ली में रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में ऐसे दिन और ऐसे समय पर की जायेगी, जो निर्वाचन आयोग इस निमित्त नियत करे, और निर्वाचन आयोग ऐसे नियत तारीख और समय की सूचना सब अभ्यर्थियों को देगा।

28. मतों की गणना के लिए नियत स्थान में प्रवेश – रिटर्निंग आफिसर –

(क) ऐसे व्यक्तियों के, जिन्हें वह गणना में अपनी सहायता के लिए नियुक्त करें;

(ख) अभ्यर्थियों और हर एक अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत एक समय पर एक प्रतिनिधि के ;

(ग) निर्वाचन के संबंध में कर्तव्यारूढ़ सेवकों के ; और

(घ) निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के,

सिवाय, किसी व्यक्ति को मतों की गणना के लिए नियत स्थान में नही रहने देगा।

29. मतदान के लिए गोपनीयता बनाए रखना – रिटर्निंग आफिसर उपस्थित व्यक्तियों को धारा 22 के उपबन्ध गणना प्रारम्भ होने से पूर्व पढ़कर सुनाएगा।

30. राष्ट्रपतीय निर्वाचन में हर एक निर्वाचक के मतों की संख्या को दर्शित करने वाला विविरण – हर राष्ट्रपतीय निर्वाचन के योजनों के लिए निर्वाचन आयोग रिटर्निंग आफिसर को एक विवरण देगा जिसमें मतों की वह संख्या दर्शित होगी जो अनुच्छेद 55 के खंड (2) के उपबंधों के अधीन हर निर्वाचक की है, और उस निर्वाचन में निर्वाचक द्वारा दिये गये हर मतपत्र के बारें में यह समझा जायेगा कि वह उन मतों का प्रतिनिधित्व करता है जितनों के बारें में उस विवरण में यह दर्शित है कि वे उस निर्वाचन के हैं।

31. मतपत्र कब अविधिमान्य होंगे – (1) वह मतपत्र अविधिमान्य होगा जिस पर,–

(क) अंक 1 चिह्नित नही है ; या

(ख) अंक 1 से अधिक अभ्यर्थियों के नाम के सामने चिह्नित है या ऐसा चिह्नित है कि उससे यह बात संदेहपूर्ण हो जाती है कि वह किस अभ्यर्थी को लागू होने के लिए आशयित है ; या

(ग) अंक 1 और कोई अन्य अंक एक ही अभ्यर्थी के नाम के सामने चिह्नित है ; या

(घ) कोई ऐसा चिह्न लगाया हुआ है जिससे निर्वाचक को तत्पश्चात् पहचाना जा सकता है।

स्पष्टीकरण – इस उपनियम के खण्ड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट अंक भारतीय अंको के अन्तर्राष्ट्रीय रूप में या किसी भारतीय भाषा में प्रयुक्त रूप में चिह्नित किये जा सकेंगे, किन्तु शब्दों में उपदर्शित नहीं किए जाएंगे।

(2) मतपत्र उस दशा में भी अविधिमान्य होगा जिसमें डाक मतपत्र होते हुए उस पर निर्वाचक के हस्ताक्षर सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित नहीं हैं।

32. हर एक मतपेटी के खोले जाने पर प्रक्रिया – हर एक मतपेटी के और नियम 26 के उपनियम (3) के अधीन प्राप्त हर एक मुहरबन्द लिफाफे (यदि कोई हो) के भी खोले जाने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर, –

(क) उन में से निकाले गए मतपत्रों की गणना करेगा और प्ररूप 6 में मतपत्र लेखा के भाग 2 को पूरा करेगा;

(ख) मतपत्रों की संवीक्षा करेगा और उनको जो उसकी राय में विधिमान्य हैं, उनसे पृथक् करेगा जो उसकी राय में अविधिमान्य है और पश्चात्कथित मतपत्रों पर ''नामंजूर'' शब्द और नाममंजूरी का आधार पृष्ठांकित करेगा ; और

(ग) सब विधिमान्य मतपत्रों को हर एक अभ्यर्थी के लिए अभिलिखित प्रथम अधिमान के क्रम के अनुसार पार्सलों में रखेगा :

परन्तु यदि राष्ट्रपतीय निर्वाचन में किसी मतदान के स्थान में प्रयुक्त मतपेटी में ऐसे निर्वाचकों के मतपत्र हैं जिन्हें उनके अपने निवेदन पर उक्त मतदान के स्थान में मत डालने के लिए नियम 7 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष रूप से अनुज्ञा दी गई है, तो ऐसे मतपत्र गणना और प्ररूप 6 में अभिलेखन के पश्चात्, पृथक कर लिए जाएंगे और एक ही प्रवर्ग के निर्वाचकों द्वारा प्रयुक्त उसी प्रकार के अन्य मतपत्रों के साथ मिला लिए जाएंगे और उसके पश्चात् उनकी संवीक्षा की जाएगी।

33. परिणाम का अवधारण – सब मतपेटियों और मुहरबन्द लिफाफों (यदि कोई हों) के खोले जाने और मतपत्रों की संवीक्षा और उनके क्रमबद्ध किये जाने के पश्चात्, रिटर्निंग आफिसर इन नियमों की अनुसूची में अन्तर्विष्ट अनुदेशों के अनुसार मतदान के परिणाम का अवधारण करने के लिए कार्यवाही करेगा।

34. पुनर्गणना – जब रिटर्निंग आफिसर का किसी पूर्वतन गणना की शुद्धता के बारें में समाधान न हो, तब वह मतों की पुर्नगणना एक बार या एक से अधिक बार, या तो स्वप्रेरणा से या किसी अभ्यर्थी के या उस अभ्यर्थी की अनुपस्थिति में उस अभ्यर्थी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के निवेदन पर कर सकेगा :

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी बात से रिटर्निंग आफिसर के लिए यह बाध्यकर न हो जाएगा कि वह उन्हीं मतों की पुनर्गणना एक से अधिक बार करे।

35. परिणाम की घोषणा – (1) जब गणना समाप्त हो जाए और मतदान के परिणाम का अवधारण कर लिया जाए, तब रिटर्निंग आफिसर तत्क्षण, –

(क) उपस्थित व्यक्तियों को परिणाम बताएगा ;

(ख) धारा 12 के अधीन केन्द्रीय सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्वाचन परिणाम की रिपोर्ट भेजेगा ;

(ग) प्ररूप 7 में निर्वाचन परिणाम की विवरणी तैयार और प्रमाणित करेगा ; और

(घ) विधिमान्य मतपत्रों और नामंजूर मतपत्रों को पृथक्–पृथक् पैकेटों में मुहरबन्द करेगा और हर एक ऐसे पैकेट पर उसकी अन्तर्वस्तुओं का वर्णन अभिलिखित करेगा।

(2) रिटर्निंग आफिसर तत्पश्चात् यथाशक्य शीघ्र निर्वाचन आयोग को प्रमाणित परिणाम की विवरणी प्रषित करेगा।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

36. मतपेटियों और निर्वाचन कागजपत्रों की अभिरक्षा – निर्वाचन में उपयोग में लाई गई सब मतपेटियों और मतपत्रों के पैकेट और निर्वाचन से सम्बद्ध सब अन्य कागजपत्र निर्वाचन के पश्चात् ऐसी अभिरक्षा में रखे जाएंगे जैसा निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे।

37. निर्वाचन कागजपत्रों का पेश करना और निरीक्षण – (1) मतपत्रों के, चाहे वे विधिमान्य हों या नांमजूर, और उनके प्रतिपर्णों के पैकेट और नियम 14 के अनुसार चिह्नित निर्वाचकों की सूचियों के पैकेट उच्चतम न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय के आदेश के अधीन खोले जाने के सिवाय, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा न तो खोले जाएंगे और न अनकी अन्तर्वस्तुओं का निरीक्षण किया जाएगा और न उनके समक्ष पेश किए जाएंगे।

(2) निर्वाचन संबंधी अन्य सब कागजपत्र ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी फीस, अदि कोई हो, दिए जाने पर, जैसी निर्वाचन आयोग निर्दिष्ट करे, जनता के निरीक्षण के लिए खुले होंगे।

38. निर्वाचन कागजपत्रों का व्ययन – नियम 37 में निर्दिष्ट पैकेट और अन्य कागजपत्र निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक रखे जाएंगे और तत्पश्चात् उस दशा के सिवाय विनिष्ट कर दिए जाएंगे जिसमें कि उच्चतम न्यायालय या अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा या निर्वाचन आयोग द्वारा तत्प्रतिकूल निदेश दिया गया हो।

39. निर्वाचन परिणाम की विवरणी की प्रतियां– नियम 35 में निर्दिष्ट निर्वाचन परिणाम की प्रमाणित विवरणी की प्रतियां, हर प्रति के लिए एक रूपया फीस दिए जाने पर, निर्वाचन आयोग द्वारा दी जाएंगी।

40. निर्वाचकों की सूची–निर्वाचन आयोग राष्ट्रपतीय निर्वाचन और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन के प्रयोजनों के लिए क्रमशः अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची और अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्यों की सूची उनके अद्यतन शुद्धकृत पतों सहित, बनाए रखेगा।

41. निरसन – राष्ट्रपतीय निर्वाचन और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम 1952 इसके द्वारा निरसित किए जाते हैं।

———————————

प्ररूप 1

(नियम 3 देखिए)

भारत के राष्ट्रपति*/उपराष्ट्रपति* पद के लिए निर्वाचन की लोक सूचना

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद भरने के लिए निर्वाचन करने के लिए, निर्वाचन आयोग द्वारा, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निकाल दी गई है, अतः ऐसे निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर, मैं————————————————————सूचना देता हूं कि ———

(i) अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा नामनिर्देशन पत्र निम्नहस्ताक्षरकर्ता को ————————नई दिल्ली में उसके कार्यालय में या यदि वह अपरिवर्जनीय रूप से उनुपस्थित हो, तो————————— को उक्त कार्यालय में —————————— के उपरान्त (लोक अवकाश–दिन से भिन्न) किसी दिन 11 बजे पूर्वाह्न और 3 बजे अपराह्न के बीच परिदत्त किये जा सकेंगे;

(ii) हर एक नामनिर्देशन पत्र के साथ उस संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति लगाई जाएगी जिसमें अभ्यर्थी निर्वाचक के रूप में रजिस्ट्रीकृत है;

(iii) हर अभ्यर्थी केवल दो हजार पांच सौ रूपये की राशि जमा करेगा या जमा करवाएगा। यह रकम नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय रिटर्निंग आफिसर के पास नकद जमा की जा सकेगी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी सरकारी खजाने में इससे पहले जमा की जा सकेगी और पश्चात्कथित दशा में ऐसी रसीद का, जिसमें यह दर्शित किया हो कि उक्त राशि जमा कर दी गई है, नामनिर्देशन पत्र के साथ लगाया जाना आवश्यक होगा;

(iv) नामनिर्देशन पत्रों के प्ररूप पूर्वोक्त कार्यालय से पूर्वोक्त समय पर प्राप्त किए जा सकेंगे;

(v) अधिनियम की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा————————————————(स्थान) में ———————————————— (तारीख) को————————————(बजे) की जाएगी;

(vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी, या उसके प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, निम्नहस्ताक्षरकर्ता को, उपरोक्त पैरा (i) में विनिर्दिष्ट स्थान में————————————(तारीख) को तीन बजे अपराह्न से पहले परिदत्त की जा सकेगी ;

(vii) निर्वाचन लड़े जाने की दशा में मतदान इन नियमों के अधीन नियत किये गये मतदान के स्थान में ——————————(तारीख) को ——————————बजे और——————————बजे के बीच होगा।

स्थान———————————————— (हस्ताक्षर)————————————————
(रिटर्निंग आफिसर)

तारीख———————————————— (पदाभिधान)————————————————

* यदि लागु न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप 2

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी के रूप में————————————————————(अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता)को नामनिर्देशित करते हैं।

हमने सत्यापित कर दिया है, और हम घोषित करते हैं, कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पुरी कर ली है और वह ———————————— राज्य में———————————————————संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

उस निर्वाचक नामावली में उक्त अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है।

हम यह और घोषित करते हैं कि हम, इसके नीचे यथा उपदर्शित लोक सभा या राज्य सभा या विधान सभा के निर्वाचित सदस्य होने के नाते, संविधान के अनुच्छेद 54 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्य हैं और हम यह नामनिर्देशन करने के प्रमाण स्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हं :–

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	पूरा नाम	लोक सभा का निर्वाचित सदस्य है या राज्य सभा का या विधान सभा का	राज्य/(किसी संघ राज्य क्षेत्र से लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) संघ राज्य क्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
* आदि					

* कम से कम दस निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए।

समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	पूरा नाम	लोक सभा का निर्वाचित सदस्य है या राज्य सभा का या विधान सभा	राज्य/(किसी संघ राज्य क्षेत्र से लोक सभा या राज्य सभा के लिए निर्वाचित सदस्य की दशा में) संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
* आदि					

* कम से कम दस निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए।

मैं इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर————————
तारीख————————————

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं0————————————————————

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में————————तारीख को————————(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक ————————(नाम)/समर्थक———————————— (नाम) द्वारा नीचे यथा उपदर्शित संलग्नकों, जिनका ——

(1)
(2)

होना तात्पर्यित है, सहित परिदत्त किया गया।

तारीख.....

————————————
रिटर्निंग आफिसर

(धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय (यदि कोई हो)

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया गया है :–

तारीख........................

————————
रिटर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन पत्र स्वीकार या नामंजूर करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ङ के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :–

तारीख........................

————————
रिटर्निंग आफिसर

....(छिद्रण)..

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं0————————
———————————————————————————————————— (नाम) का,जो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में———————(तारीख) को————————————(बजे) अभ्यर्थी / प्रस्थापक———————————(नाम) / समर्थक—————————————(नाम) द्वारा परिदत्त किया गया।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न सब नामनिर्देशन पत्रों कीसंवीक्षा—————————(तारीख) को———————(बजे)—————————(स्थान) में की जाएगी

[2 मैंने इस अभ्यर्थी के नामनिर्देशन पत्र को नीचे दिए गये कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 5ख की उपधारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है :–]

तारीख........................

————————
रिटर्निंग आफिसर

[ ] यदि लागु न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप 3

(नियम 4 देखिए)

नामनिर्देशन पत्र

भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन

हम संसद् सदस्य होने के नाते संविधान के अनुच्छेद 66 में निर्दिष्ट निर्वाचकगण के सदस्य जिन्होंने नीचे हस्ताक्षर किये हैं, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन केलिए अभ्यर्थी के रूप में——————————————————————————————————————
(अभ्यर्थी का पूरा नाम और पता)
को नामनिर्देशित करते हैं।

हमने सत्यापित कर दिया है, और हम घोषित करते है, कि उक्त अभ्यर्थी ने 35 वर्ष की आयु पुरी कर ली है और वह —————————————————————— राज्य में———————————————————संसदीय निर्वाचन–क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत है।

उस निर्वाचक नामावली मे उक्त अभ्यर्थी से सम्बद्ध प्रविष्टि की एक प्रमाणित प्रति संलग्न है। हम इसके नीचे यथा उपदर्शित अपनी पूरी विशिष्टियां देते हैं और हम यह नामनिर्देशन करने के प्रमाणस्वरूप नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :–

प्रस्थापकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	पूरा नाम	लोक सभा का सदस्य है या राज्य सभा का	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
* आदि					

* कम से कम पांच निर्वाचक प्रस्थापकों के रूप में होने चाहिए।

समर्थकों की विशिष्टियां और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं0	पूरा नाम	लोक सभा का सदस्य है या राज्य सभा का	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र जहां से निर्वाचित हुआ	हस्ताक्षर	तारीख
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8					
9.					
10.					
*					
आदि					

* कम से कम पांच निर्वाचक समर्थकों के रूप में होने चाहिए।

मैं इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता हूं

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर————————
तारीख————————————

(रिटर्निंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं0————————————————————

यह नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में————————तारीख को——————(बजे) अभ्यर्थी/प्रस्थापक ——————————(नाम)/समर्थक————————————————————— (नाम) द्वारा नीचे यथा उपदर्शित लग्नकों, जिनका ——

(1)
(2)

होना तात्पर्यित है, सहित परिदत्त किया गया।

तारीख.....

————————
रिटर्निंग आफिसर

(धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय (यदि कोई हो)

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र को नीचे दिए गए कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया गया है :–

तारीख..... ––––––––––

रिटर्निंग आफिसर

नामनिर्देशन पत्र स्वीकार या नामंजूर करने वाले रिटर्निंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नामनिर्देशन पत्र की राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ङ के अनुसार परीक्षा कर ली है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूं :–

तारीख..... ––––––––––

रिटर्निंग आफिसर

.....(छिद्रण).....

नामनिर्देशन पत्र के लिए रसीद और संवीक्षा की सूचना

(नामनिर्देशन पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को दिए जाने के लिए)

नामनिर्देशन पत्र की क्रम सं0––––––––––––––––––––
––(नाम)
का जो भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी है, नामनिर्देशन पत्र मुझे मेरे कार्यालय में––––––––––(तारीख) को––––––––––––––––––(बजे)
अभ्यर्थी / प्रस्थापक––––––––––––––(नाम) / समर्थक––––––––––––––––(नाम)
द्वारा परिदत्त किया गया।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर किए गए नामनिर्देशन पत्रों से भिन्न सब नामनिर्देशन पत्रों की संवीक्षा––––––––(तारीख) को––––––(बजे)––––––––––(स्थान) में की जाएगी

[2[मैंने इस अभ्यर्थी क नामनिर्देशन पत्र को नीचे दिए गये कारणों से राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 5ख की उपधारा 5ख की उपधारा (4) के अधीन नामंजूर कर दिया है :–]

तारीख..... ––––––––––

रिटर्निंग आफिसर

[ ] यदि लागू न हो तो काट दीजिए।

प्ररूप 4

(नियम 5 (1) देखिए)

अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना

प्रति

रिटर्निंग आफिसर,

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन।

.....(पता) का मैं,..... .....(नाम) जो कि ऊपर कहे गये निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी हूं, सूचना देता हूं कि मैं अपनी अभ्यर्थिता वापस लेता हूं ।

स्थान..... .....
तारीख..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

टिप्पण :– अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना का, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 6(1) के अधीन अभ्यर्थी द्वारा स्वयं उसके ऐसे प्रस्थापकों या समर्थकों में से किसी एक के द्वारा, जो ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित रूप से इस निमित्त प्राधिकृत किया गया हो, परिदत्त किया जाना अपेक्षित है।

प्ररूप 5

(नियम 6 देखिए)

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन।

निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	अभ्यर्थी का पता
1.		
2.		
3.		
4.		
आदि		

स्थान..... .....
तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

प्ररूप 6

(नियम 20 देखिए)

भाग 1 – मतपत्र लेखा

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन।

मतदान के स्थान का नाम.....

		क्रम सख्यांक		कुल संख्या
		से	तक	
1.	प्राप्त मतपत्र			
2.	उपयोग में न लाए गए मतपत्र			
3.	मतदाताओं को दिए गए मतपत्र			
4.	रद्द किए गए मतपत्र			

तारीख.....

.....
पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर

भाग 2– गणना का फल

(नियम 32 देखिए)

(1) मतदान के स्थान में उपयोग में लाई गई मतपेटी (मतपेटियों) में पाए गए मतपत्रों की कुल संख्या.....

(2) इस भाग में मद (1) के सामने यथादर्शित कुल संख्या और भाग 1 की मद 3 में यथादर्शित मतदाताओं को दिए गए मतपत्रों की कुल संख्या में से भाग 1 की मद 4 में यथादर्शित रद्द किए गए मतपत्रों की संख्या घटाकर प्राप्त संख्या के बीच कोई अन्तर, यदि हो।

तारीख.....

.....
रिटर्निंग आफिसर के हस्ताक्षर

प्ररूप 7

(नियम 35 (1) (ग) देखिए)

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन परिणाम की विवरणी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम	प्रथम गणना में प्राप्त मत	प्रथम अपवर्जन में नाम में आकलित	स्तम्भ 3 और 4 का जोड	द्वितीय अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 5 और 6 का जोड़	तृतीय अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 7 और 8 का जोड	चतुर्थ अपवर्जन में नाम में आकलित मत	स्तम्भ 9 और 10 का जोड				
	निश्शेषित मत													
	जोड़													

.....मतों के सूचक विधिमान्य मतपत्रों की कुल संख्या.....
.....मतों के सूचक अविधिमान्य मतपत्रों की कुल संख्या.....

मैं घोषित करता हूं कि

(नाम).....

(पता).....

भारत के राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति पद के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचत हो गए है।

स्थान..... .....
तारीख..... रिटर्निंग आफिसर

(नियम 33 देखिए)

परिणाम के अवधारण के लिए अनुदेश

1. इस अनुसूची में –

(1) ''बने रहने वाला अभ्यर्थी'' पद से कोई ऐसा अभ्यर्थी अभिप्रेत है, जो निर्वाचित नही हुआ है और किसी दिए गए समय पर मतदान से अपवर्जित नही हुआ है ;

(2) ''प्रथम अधिमान'' पद से किसी अभ्यर्थी के नाम के सामने लगाया गया अंक 1 अभिप्रेत है, इसी प्रकार ''द्वितीय अधिमान'' से अंक 2, ''तृतीय अधिमान'' से अंक 3 और इसी प्रकार आगे अभिप्रेत है ;

(3) ''अगला उपलभ्य अधिमान'' पद से, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए लगातार संख्या क्रम में अभिलिखित द्वितीय या पश्चात्वर्ती अधिमान अभिप्रेत है, तत्पूर्व अपवर्जित किए जा चुके अभ्यर्थियों के लिए अधिमानों को गिनती में नही लिया जाएगा ;

(4) ''अनिश्शेशित पत्र'' से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, बने रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित है ;

(5) ''निश्शेशित पत्र'' से वह मतपत्र अभिप्रेत है जिस पर, रहने वाले अभ्यर्थी के लिए आगे और अधिमान अभिलिखित नही है, परन्तु किसी पत्र को ऐसी दशा में निश्शेषित समझा जाएगा जिसमें कि –––

(क) दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम चाहे वे बने रहने वाले हों या न हों, एक ही अंक से चिह्नित हैं और अधिमान के क्रम में अगले हैं ; या

(ख) अधिमान के क्रम में अगले अभ्यर्थी का नाम, चाहे वह बना रहने वाला हो या न हो ऐसे अंक से जो मतपत्र पर किसी अन्य अंक के ठीक बाद का अंक नही है या दो अंको से चिह्नित है।

2. हर गणना में हर मतपत्र –

(क) राष्ट्रपतीय निर्वाचन में, नियम 30 के अधीन यथा अवधारित मतों की संख्या का; और

(ख) उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन में, एक मत का,

सूचक है।

3. हर एक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त प्रथम अधिमान मतों की संख्या अभिनिश्चित कीजिए और उसके नाम वह संख्या आकलित कर दीजिए।

4. सब अभ्यर्थियों के नाम ऐसे आकलित संख्याओं को जोड़ लीजिए, जोड़ को दो से भाग दीजिए और यदि कोई शेष हो तो उसको गिनती में न लेकर भागफल में एक जोड़ दीजिए। इस प्रकार प्राप्त संख्या वह कोटा है जो निर्वाचन में अभ्यर्थी का निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त है।

5. यदि पहली या किसी पश्चात्वर्ती गणना के अन्त में किसी अभ्यर्थी के नाम आकलित मतों की कुल संख्या कोटा के बराबर या उससे अधिक है या बना रहने वाला अभ्यर्थी केवल एक है तो वह अभ्यर्थी निर्वाचित घोष्ति कर दिया जाता है।

6. यदि किसी गणना के अन्त में कोई अभ्यर्थी निर्वाचित घोषित नहीं किया जा सकता तो –

(क) उस क्रम तक, मतों की सब से कम संख्या जिस अभ्यर्थी का नाम आकलित है उसे अपवर्जित कीजिए ;

(ख) उसके पार्सल और उप–पार्सलों में के सब मतपत्रों की परीक्षा कीजिए, उप–पार्सलों में के अनिश्शेषित पत्रों को, बने रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए उन पर अभिलिखित अगले उपलभ्य अधिमानों के अनुसार रखिए, हर एक उप–पार्सल में के अधिमान मतों की संख्या गिनिए और उस अभ्यर्थी के नाम आकलित कीजिए जिसके नाम ऐसा–अभिलिखित है, उप–पार्सल को उस अभ्यर्थी को अन्तरित कर दीजिए और सब निश्शेषित पत्रों का पृथक् उप–पार्सल बनाइए ; और

(ग) देखिए कि क्या बने रहने वाले अभ्यर्थियों में से किसी ने, ऐसे अन्तरण और उसके नाम में किए गए आकलन के पश्चात् कोटा प्राप्त कर लिया है।

जब कोई अभ्यर्थी ऊपर के खण्ड (क) के अधीन अपवर्जित किया जाता है तब यदि मतों की एक ही संख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों के नाम आकलित की गई है और वे मतदान में सबसे नीचे हैं तो उस अभ्यर्थी को अपवर्जित कीजिए जिसने प्रथम अधिमान मतों की सब से कम संख्या प्राप्त की थी और यदि वह यंख्या दो या अधिक अभ्यर्थियों की दशा में भी वही थी तो लॉट द्वारा विनिश्चित कीजिए कि उनमें से किसको अपवर्जित किया जाएगा।

ऊपर के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट निश्शेषित पत्रों के सब उप–पार्सल अंतिम रूप से निपटाए गए रूप में अलग रखे जाएंगे और उन पर अभिलिखित मतों को तत्पश्चात् हिसाब में नहीं लिया जायेगा।

———————————